FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... मालेबा ....

नरसिंह लाल उर्फ नरेश/भंवरलाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 88,89 RT Act .... नं. 273 /दावा/ सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/5/25	वाद पत्र सरिस्ते से बाद रिपोर्ट होकर पेश हुआ। वादी मय अभिभाषक उपस्थित हुए। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 19/5/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/5/25	पत्रावली आज प्रा०पत्र शीघ्र सुनवाई पेश होनेपर पेश हुई। पेशकार सरकार ने प्रा०पत्र शीघ्र सुनवाई पर No objection करने से प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया। TOR रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पेशकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र दिनांक 30/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। बहस वाद पत्र सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट TOR का अवलोकन किया गया। वाद वादी स्वीकार ~~योग्य प्रतीत~~ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी का नाम नरेश पुत्र भंवरलाल के स्थान पर नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल जाति हरिजन दर्ज किया जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
.दावा/2025	08.04.2025	30.04.2025

नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र श्री भंवरलाल (हरिजन) उम्र 44 वर्ष निवासी सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान ।

–प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता वादी :– श्री पंकज पांचाल

अधिवक्ता प्रतिवादी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वाद पत्र वास्ते अधिकार घोषणा एवं नाम शुद्धीकरण

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 2704/1614 रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाके ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा निहित है जिस पर वादी खातेदार के रूप मे अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादी वाद वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है वादी के पिता भंवरलाल की मृत्यू के उपरान्त भूमि पर फौती इंतकाल उनके वारिसान का खोला गया तत्समय मुझ वादी का बोलता नाम नरेश पुत्र भंवरलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि मुझ वादी का सभी दस्तावेजो में नाम नरसिंह लाल पुत्र भंवरलाल जाति हरिजन अंकित है वादी के नामान्तरण प्रार्थना पत्र में नरसिंह लाल पुत्र भंवरलाल अंकित होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन नही कर बोलता नाम नरेश पुत्र भंवरलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन–फानन में वादी का नाम नरेश पुत्र भंवरलाल ही दर्ज कर दिया तथा वादवर्णित कृषि भूमि में वादी के हक अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया। वादी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय की अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे की वादी नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल एक ही व्यक्ति है जिसका उक्त भूमि पर हक व अधिकार है तथा नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल एक ही व्यक्ति होने के कारण राजस्व रिकार्ड में नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल दर्ज करने का आदेश प्राप्त करे। गलत नाम के चलते वादी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं इस बाबत जब वादी द्वारा तहसीलदार तालेडा एक माह पूर्व निवेदन किया की वादी का नाम शुद्ध किया जावे तो तहसीलदार तालेडा द्वारा वादी के साथ टालमटौल की गई एवं वादी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया एवं वाद वर्णित भूमि से वादी का हक व अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 2704/1614 रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाके ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जिसमे वादी का 1/8 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है पर वर्तमान में वादी की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दस्तावेजो के आधार पर नाम नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल जाति हरिजन निवासी सुंवासा के नाम हक व अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी में नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल जाति हरिजन निवासी सुंवासा दर्ज कर शुद्धीकरण करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।

वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1366 दिनांक 25.04.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि नरसिंह लाल उर्फ नरेश पि0 भंवरलाल हरिजन नि0 सुंवासा खाता सं0 180 खसरा सं0 2704/1614 रकबा 0.5261 हैक्टे0 हिस्सा 1/8 में खातेदार दर्ज रेकार्ड है । वादी नरसिंह लाल आ0 भंवरलाल जाति हरिजन के सभी दस्तावेज यथा आधार कार्ड , जनआधार कार्ड बैंक पासबुक, वोटर आईडी में नाम नरसिंह लाल पि0 भंवरलाल जाति हरिजन का अंकन है फोती नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का

...रेश दर्ज हो गया वादी का वास्तविक नाम नरसिंह पुत्र भंवरलाल जाति हरिजन है दुरूस्त किये ...नुशंषा की ।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 180 संवत 2076 वाके ग्राम ...ुवासा व आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादीगण का नाम नरेश पुत्र भंवरलाल के स्थान पर नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल जाति हरिजन दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार वादी का नाम संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं0 180 संवत 2076 वाके ग्राम सुंवासा व आधार कार्ड का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि वादी का नाम नरेश पुत्र भंवरलाल के स्थान पर नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल जाति हरिजन किया जाना उचित है। है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि संवत 2076 खाता सं0 180 खसरा सं0 2704/1614 रकबा 0.5261 हैक्टे0 तहसील तालेडा जिला बून्दी मे वादी का नाम नरेश पुत्र भंवरलाल के स्थान पर नरसिंह लाल उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल जाति हरिजन दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा